अधिसूचना सं०/०टी०एस०जी-2020-21/फाइल सं०-509 / 58 /वाणिज्य कर

कार्यालयकमिश्नर-, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(अनुभाग ०टी०एस०जी)
लखनऊ:दिनांक: 24 नवम्बर, 2020

# अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 168 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 45 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कमिश्नर, बोर्ड के अनुमोदन के साथ जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020 की अवधि के दौरान किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार को पारेषित मालो या किसी फुटकर काम करने वाले कर्मकार से वापस आये मालो के संबंध में प्ररूप **जीएसटी आईटीसी-04** में घोषणा करने हेतु समय सीमा एतदद्वारा नवंबर, 2020 के 30 वें दिन तक बढ़ाते हैं।

2. इस अधिसूचना को अक्टूबर, 2020 के 25 वें दिन से लागू माना जाएगा। पारे

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।